रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 250] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 27, 2016/श्रावण 5, 1938
No. 250] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 27, 2016/ SRAVANA 5, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2016

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से "सोडियम नाइट्राइट" के आयातों पर पाटनरोधी जाँच की निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरूआत

फा.सं. 15/06/2016-डीजीएडी.—यत: 1995 में और उसके बाद यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पश्चात प्राधिकारी भी कहा गया है) ने दिनांक 4 नवम्बर, 1999 की अधिसूचना सं. 39/1/99-डीजीएडी द्वारा चीन जन. गण. (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सोडियम नाइट्राइट" (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जाँच शुरू की थी और 6 अप्रैल, 2000 की अधिसूचना सं. 39/1/99-डीजीएडी द्वारा अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 76/2000-सीमाशुल्क दिनांक 23 मई, 2000 द्वारा चीन जन. गण. से सोडियम नाइट्राइट के अयातों पर मूल जाँच में अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। प्राधिकारी द्वारा 3 नवम्बर, 2000 की अधिसूचना द्वारा अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचित किए गये और राजस्व विभाग ने दिनांक 19 दिसम्बर, 2000 की अधिसूचना सं. 147/2000-सीमाशुल्क द्वारा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक

पाटनरोधी शुल्क लगाया था। शुल्क को लागू करने की समय-समय पर समीक्षा की गई है और अंतिम और दूसरी निर्णायक समीक्षा के जाँच परिणाम दिनांक 30 जून, 2011 की अधिसूचना सं. 15/4/2010-डीजीएडी द्वारा जारी किए गए थे और उनमें संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के अयातों पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की गई। प्राधिकारी की सिफारिश के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा 17 अगस्त, 2011 की अधिसूचना सं. 76/2011-सीमाशुल्क द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। दूसरी मध्यावधि समीक्षा याचिकाकर्ता की ओर से पाटनरोधी शुल्क के रूप में वर्तमान बेंचमार्क रूप से निर्धारित रूप में परिवर्तन करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि में वृद्धि करने के अनुरोध पर की गई थी, प्राधिकारी ने दिनांक 15 अक्तूबर, 2014 की अधिसूचना सं. 15/2/2013-डीजीएडी द्वारा पाटनरोधी शुल्क के रूप को बदलते हुए अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचित किए गए थे।

2. यत: याचिकाकर्ता ने अधिनियम और नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष एक विधिवत रूप से साक्ष्यांकित याचिका दायर की है जिसमें चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना का आरोप लगाया है और संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे जारी रखने का अनुरोध किया है।

शामिल देश

3. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जाँच में संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद "सोडियम नाइट्राइट" है। "सोडियम नाइट्राइट" एक आक्सीकरण और रिड्यूसिंग एजेंट है। यह एक सफेद क्रिस्टलीय पाउडर है जिसका प्रयोग अधिकांशत: भेषज उद्योगों, रँगाई उद्योगों, लुब्रिकेंटस, निर्माण रसायनों, रबड़ ब्लोविंग एजेंट, हीट ट्रांसफर साल्ट, मांस प्रसंस्करण, वस्त्रों आदि में किया जाता है। संबद्ध वस्तु का उत्पादन उत्प्रेरक की मौजूदगी में उच्च तापमान पर नाइट्रस आक्साइड (NOx गैस) या अमोनिया से प्राप्त नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करके किया जाता है। नाइट्रस आक्साइड को सोडियम नाइट्राइट प्राप्त करने के लिए कास्टिक सोडा/सोडा एश में आगे अवशोषित किया जाता है। यह उत्पाद गंधरहित और जल में घुलनशील है।

5. चूंकि प्रस्तावित जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है इसलिए विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जांच के समान ही है । "सोडियम नाइट्राइट" को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 28 के अंतर्गत सीमाशुल्क उप-शीर्ष सं 28341010 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण सांकेतिक प्रकृति का है और जाँच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

6. समान वस्तु के संबध में नियम 2 (घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

"समान वस्तु" का अर्थ ऐसी वस्तु है जो भारत में पाटित किए जाने की जाँच के अधीन वस्तु के सभी तरह से समान यह उसके जैसी हो या ऐसी किसी वस्तु की अनुपस्थिति में कोई अन्य वस्तु जो यद्यपि सभी तरह से समान नहीं हो, तथापि उसमें जाँच के अधीन वस्तु से बिल्कुल मिलती-जुलती विशेषताएं हों।

7. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद में भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसे मापदंडों की दृष्टि से तुलनीय विशेषताएं हैं। याचिका लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे जारी रखने के लिए दायर की गई है और समान वस्तु का मुद्दे पर पहले ही पूर्ववर्ती जाँचों में विचार किया गया है। पूर्ववर्ती जाँचों में प्राधिकारी ने पहले ही माना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उतपादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देश से आयातित वस्तु के समान वस्तु है।

घरेलू उद्योग और उसकी योग्यता

8. यह याचिका मैं. दीपक नाइट्राइट लि., वडोदरा द्वारा दायर की गई है। देश में सोडियम नाइट्राइट के तीन और उत्पादक हैं - पंजाब कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। आवेदन में प्रस्तुत सूचना के अनुसार घटक घरेलू उद्योग का संबद्ध वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है। इसके अलावा घटक घरेलू उद्योग ने यह घोषणा की है कि उसने संबद्ध देश से न तो विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है और न ही वह संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबद्ध हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख), 5(क) और 5(ख) के अधीन यथाअपेक्षित योग्यता संबंधी अपेक्षित मापदंडों को पूरा करता है और घरेलू उद्योग है।

पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरूआत

9. यत:, विधिवत रूप से साक्ष्यांकित याचिका को ध्यान में रखते हुए और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और इस बात की जाँच करने कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की आशंका है, के लिए निर्णायक समीक्षा की शुरूआत करते हैं।

जांच अवधि

10. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 तक की है। तथापि, क्षति जाँच अवधि में अप्रैल 2012 - मार्च 2013, अप्रैल 2013 - मार्च 2014, अप्रैल 2014 - मार्च 2015 और जाँच अवधि की समयावधि शामिल होगी।

प्रक्रिया

11. वर्तमान निर्णायक समीक्षा में दिनांक 30 जून, 2011 की अधिसूचना सं. 15/4/2010-डीजीएडी (दूसरी निर्णायक समीक्षा जाँच के अंतिम जाँच परिणाम) और 15 अक्तूबर, 2014 की अधिसूचना सं. 15/2/2013-डीजीएडी (दूसरी मध्यावधि समीक्षा के अंतिम जाँच परिणाम) के सभी पहलू शामिल हैं।

12. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

13. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देश की सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने और निम्नलिखित पते पर प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है:-

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

14. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उक्त अनुरोध का अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना होगा।

समय-सीमा

15. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु कोई अनुरोध ऐसे पत्र को जारी करने की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। कोई अन्य

हितबद्ध पक्ष, जिसका पता उपलब्ध नहीं है, भी इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर टिप्पणियां/सूचना प्रस्तुत कर सकता है।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

16. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के बारे में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग-अलग सैटों (क) गोपनीय रूप से अंकित (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) और (ख) अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रस्तुत की गई समस्त सूचना पर प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए और उनके साथ उनकी सॉफ्ट कापियाँ होनी चाहिए।

17. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। समस्त हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां सॉफ्ट प्रतियों के साथ, प्रस्तुत की जानी चाहिए।

18. गोपनीय रूप में दावा की गई सूचना हेतु; सूचना प्रदाता के लिए यह अपेक्षित है कि वह प्रदान की गई सूचना के साथ इस आशय के यथोचित कारण का एक विवरण उपलब्ध कराए कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता और/अथवा ऐसी सूचना का सारांश क्यों संभव नहीं है।

19. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई/सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है; तो प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों सभव नहीं है।

20. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते है। प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

21. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी रिकॉर्ड में नहीं ले सकते हैं। संतुष्ट होने और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत को स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार का उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

22. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

23. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए. के. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2016

Subject: Sunset Review Initiation of Anti-Dumping investigation on imports of "Sodium Nitrite" originating in or exported from China PR

F. No. 15/06/2016-DGAD.— Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter also referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the Rules); the Designated Authority (hereinafter also referred as the Authority) initiated anti-dumping investigations on imports of "Sodium Nitrite" (hereinafter also referred as the subject goods), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred as the subject country) vide Notification No.39/1/99-DGAD dated 4thNovember1999, and recommended imposition of provisional anti-dumping duty vide Notification No.39/1/99-DGAD dated 6th April 2000.The provisional anti-dumping duty in the original investigation was imposed on imports of Sodium Nitrite from China PR vide customs notification no. 76/2000-Customs dated 23rd May 2000. The final findings were notified by the Authority vide notification dated 3rd November 2000 and the Department of Revenue imposed definitive anti-dumping duties on the subject goods from subject country vide Notification No.147/2000-Customs dated 19th December 2000. The imposition of duty has been reviewed time to time and the last and second sunset review final finding was issued vide Notification No. 15/4/2010 - DGAD dated 30thJune, 2011 and recommended continued imposition of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country. As per the recommendations of the Authority, the anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 76/2011-Customs dated 17thAugust, 2011. After the second mid-term review conducted at the behest of the petitioner requesting for change in the form of anti-dumping duty from current benchmark form to fixed form and enhancement in the quantum of anti-dumping duties, the Authority notified final findings changing the form of anti- dumping duty vide Notification No. 15/2/2013-DGAD dated 15th October 2014. Duties shall expire on 16th August 2016.

2. WHEREAS, the petitioner has filed a duly substantiated petition before the Authority, in accordance with the Act and the Rules alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from China PR and consequent injury to the domestic industry and have requested for review and continuation of the anti-dumping duties, imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

Country Involved

3. The subject country in the present sunset review investigation is China PR.

Product under Consideration and Like Article

4. The product under consideration in the present investigation is "Sodium Nitrite". Sodium Nitrite is an oxidizing as well as reducing agent. It is a white crystalline powder mostly used in pharmaceutical industries, dye industries, lubricants, construction chemicals, rubber blowing agent, heat transfer salts, meat processing, textiles etc. The subject goods are produced by using nitric acid obtained from nitrous oxide (NOx gas) or ammonia at high temperature in presence of catalysts. The nitrous oxide is further absorbed in caustic soda/soda ash to get sodium nitrite. The product is odorless and soluble in water.

5. Since the proposed investigation is a sunset review investigation, the scope of the product under consideration remains the same as that of the original investigation. Sodium Nitrite is classified under Custom Sub Heading 28341010 of Chapter 28 of the Customs Tariff Act. However, the customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

Like Article

6. Rule 2(d) with regard to like article provides as under: -

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

7. Petitioner has claimed that there is no known difference in subject goods produced by them and exported from the subject country. The product under consideration produced by the petitioner and imported from the subject country are having comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The petition filed is for the review and continuation of the anti-dumping duty in force, and the issue of like article has been already dealt with in the previous investigations. In the earlier investigations, the Authority has already held that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the same imported from the subject country.

Domestic Industry & Standing

8. The petition has been filed by M/s. Deepak Nitrite Ltd., Vadodara. There are three more producers of Sodium Nitrite in the Country - Punjab Chemicals & Pharmaceuticals Limited, National Fertilizer Limited and Rashtriya Chemicals & Fertilizers Limited. As per information furnished in the application, the production of the constituent domestic producer accounts for major proportion of the total domestic production of the subject goods. Further, the constituent domestic producer has declared that they have neither imported the product under consideration from the subject country, nor are they related to any exporter of the product under consideration in the subject country or to an importer of subject goods in India.The Authority notes that the petitioner fulfils the requisite criteria to satisfy standing and constitutes domestic industry, asrequired under Rule 2(b), 5(a) and 5(b) of AD Rules.

Initiation of Sunset Review of Anti-Dumping Duty

9. WHEREAS in view of the duly substantiated petition filed and in accordance with section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority hereby initiates a Sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

Period of Investigation

10. The period of investigation (POI) is April 2015 to March 2016 for the purpose of present investigation. The injury investigation period will however cover the periods April 2012-March 2013, April 2013-March 2014, April 2014 - March 2015 and the POI.

Procedure

11. The present sunset review covers all aspects of Notification No. 15/4/2010 -DGAD dated 30thJune 2011 (final findings of second sunset review investigation) and Notification No. 15/2/2013-DGAD dated 15th October 2014 (final findings of second mid-term review).

12. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of information

13. The known exporters in the subject country, the government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
4th Floor, Jeevan Tara Building
5, Parliament Street, New Delhi – 110001

14. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to submit a non-confidential version of the same to be made available to the other parties.

Time Limit

15. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of issuance of such letter. Any other interested party, whose address is not available, may also submit comments/ information within 40 days from date of publication of this notification.

Submission of information on confidential basis

16. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a)marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page and accompanied with soft copies.

17. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and two (02) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

18. For information claimed as confidential, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

19. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

20. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

21. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of public file

22. In terms of rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidences submitted by other interested parties.

Non-cooperation

23. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

A. K. BHALLA, Addl. Secy. and Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.